REGD. NO. D. L.-33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2014/फाल्गुन 29, 1935
No. 713]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2014/PHALGUNA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 839(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 5 तथा 16 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
"5	302	मिजोरम राज्य में थेरियट के निकट रारा 2 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लुंगलेई,
		लुगसेनी, तुइहोंग को जोडते हुए दीमागिरी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
16	6	असम राज्य में जोरबाट के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मिजोरम
		राज्य में शिलांग, धलेश्वर, कनपुई, आईजाल, सेलिंग, लुमतुई, खावथिर, ख्वालखुल, तुइसेम,
		नेहडान को जोडते हुए और चंपाई पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

तालिका

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-10)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

1261 GI/2014

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364(अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 839(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial numbers 5 and 16, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"5	302	The highway starting from its junction with NH-2 near Theriat connecting Lunglei, Lungseni, Tuiehong and terminating at Demagiri in the State of Mizoram.
16	6	The highway starting from its junction with NH-27 near Jorabat in the State of Assam connecting Shillong, Dhaleshwar, Kanpui, Aizawal, Selling, Lumtui, Khawthlir, Tuisen, Neihdawn and terminating at Champai in the State of Mizoram."

TABLE

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-10)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364(E), dated 10th February, 2014.